

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट—प्रथम, हरिद्वार।
CNR No. UKHA02-015666-2024

परिवाद सं० —3928 / 2024
रजिस्ट्रेशन सं० 11468 / 2024
श्रीमती तन्नू बनाम मोहित आदि

अंतर्गत धारा—परिवाद के रूप में दर्ज।
थाना— बहादुराबाद।

दिनांक 21.07.2026

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। बार—बार पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। पत्रावली आज वास्ते अन्वेषण आख्या तलब हेतु नियत है।

2. पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा पूर्व नियत तिथि पर परिवादी को अन्तिम अवसर दिया गया, जिसके उपरांत भी परिवादी निरन्तर अनुपस्थित चला आ रही है, जिससे प्रतीत होता है कि परिवादी अपने परिवाद में बल नहीं देना चाहती है। अतः हस्तगत वाद की कार्यवाही लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

पत्रावली परिवादी की अनुपस्थिति के कारण, पत्रावली की कार्यवाही निरस्त की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जाए।

दिनांक 21.07.2026

(रोहित जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट—प्रथम
हरिद्वार।